फर्द अहकाम

(नियम (28))

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम जग्या पि कांशी

किस्म मुकदमा धारा गु० नं० 118/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/19	दिनांक आज प्रार्थना पत्र पेश किया। दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ की रिपोर्ट की जावे। पत्रावली दि 8-5-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सिकराय (जिला-दौसा)	
/3/19	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया, अदल का मनन किया। सहखातेदारो द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सहमति पत्रानुसार दुरुस्तीकरण का निवेदन किया गया। सहमति पत्र पर पटवार, पटवारी, भू.अ.नि. तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है, जिन पर भी दुरुस्तीकरण का निवेदन किया गया। ऐसी स्थिति में मुताबिक सहमति पत्र दुरुस्त किये जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दिनांक 25-3-19 भी निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अतः दावा ... स्वीकार किया जाता है तथा विवादित खसरा नं. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 कुल किता 8 वाकेरामा ~~...~~ [illegible] तहसील सिकराय के राजस्व रिकॉर्ड में सहमति दिनांक 25-3-19 के मुताबिक दुरुस्ती के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 26/3/19.	

Scanned by CamScanner